सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या : 22/18 **निर्णय दिनांकः 23—07—2019**

1. रेवन्तराम
2. तुलछाराम
   पिसरान नेमाराम जाति कुम्हार निवासी नोखागावं तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण

—बनाम—

1. फरसाराम पुत्र नेमाराम जाति कुम्हार निवासी नोखा गांव, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. सोनी पत्नी मोहनराम
3. मीरा
4. तारा
5. सुम्मा
   पुत्रियॉ मोहनराम जाति कुम्हार निवासी नोखा गांव, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, नोखा।
7. मूलाराम पुत्र नेमाराम जाति कुम्हार निवासी नोखा गांव, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. पन्नाराम पुत्र नेमाराम जाति कुम्हार निवासी नोखा गांव, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण

नजरसानी प्रार्थना पत्र विरुद्व
निर्णय व डिक्री दिनांक 06—08—2018
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अप्रार्थीगण
3. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06—08—2018 जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाके रोही नोखा गावं तहसील नोखा के खसरा नम्बर 550 तादादी 11.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 551 तादादी 7.40 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 11.80 हेक्टर के बाबत् बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस का विभाजन का दावा प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बताये गये हिस्से के अनुसार विभाजन करवाते हुए दावा एकपक्षीय रूप से डिक्री करवा लिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा नेमाराम की पुत्री केसर को पक्षकार बनाये ही अपील का निस्तारण करते हुए अपीलांट की अपील को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष केसर जोकि नेमाराम की पुत्री है ने वर्ष 2014 में ही पक्षकार स्थापित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। न्यायालय हाजा द्वारा इस और कतई ध्यान नहीं दिया गया व आदेश जैर अपील पारित करने से पूव आनन—फानन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को खारिज करते हुए आदेश पारित कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के मामलें में अपील में स्थापित अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 पर बिना तामील करवाये एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बताये गये आसे—पासे के अनुसार डिक्री कर दिया गया। जबकि विवादित भूमि जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा करार दिया गया है उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा जो अपने खसरे बताये गये है उसी के अनुसार डिक्री जारी कर दी गई जबकि डिक्री पारित करने से पूर्व प्रस्ताव प्राप्त किये जाने अनिवार्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अदम हाजरी में खारिज होने के उपरान्त प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही प्राथीगण ने अपने वकील को हिदायत पैरवी दी थी, ऐसी स्थिति में बिना नोटिस जारी किये दावे को रेस्टोर करते हुए एकतरफा तौर पर निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई। इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा अपील की बहस के दौरान रखा भी गया था परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील की बहस के दौरान माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय को बतौर न्यायिक दृष्टांत अंकित किया गया था कि किसी भी पक्ष के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व उसको सुना जाना आवश्यक है, न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय करते समय इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रार्थी द्वारा अपील की बहस के दौरान विभिन्न न्यायिक दृष्टांत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु अपील के निर्णय में किसी भी न्यायिक दृष्टांत का कोई विवेचन नहीं किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा डब्ल्यूएलएन 1988 यूसी राजस्थान पेज 288 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया, जिसमें अभिलिखित किया गया है कि यदि किसी प्रार्थना को निर्णय में डिस्कस नहीं किया गया है तो वह एरर अपेरन्ट ऑफ दा फेस आफॅ रिकार्ड माना जायेगा। ऐसी स्थिति में मामला रिव्यू किये जाने योग्य है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा जो बहस की गई, पूरे दावे को देखा नहीं ना ही उस पर कोई फाईडिंग दी गई है। वदग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से खाता विभाजन तेा बहुत पहले ही हो चुका था, उसी अनुरूप अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन करते हुए जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में बताई गई है उस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा प्रारम्भ से ही चला आ रहा है तथा अपीलांट मौके पर ढाणी व कुण्ड बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त स्थिति का ज्ञान होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अच्छी से अच्छी भूमि की डिक्री प्राप्त की

गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अदालत मातहत को धोखे में रख कर डिक्री प्राप्त की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 पर बिना प्रोपर तामील करवाये एकतरफा तौर पर डिक्री पारित की गई है। उक्त तमाम तथ्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी व केसर जोकि नेमाराम की पुत्री है द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर कोई आदेश पारित किये बिना आदेश पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। वादग्रस्त भूमि पर केसर का अन्य सहखातेदारों की तरह हक व हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में केसर को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना जारी बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स की डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य डिक्री है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06—08—2018 को अपास्त किया जाकर अपील को पुनः सुनवाई में लिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण निर्णय को अपील की तरह चुनौती दी गई है। जबकि नजरसानी का दायरा सीमित है। प्रार्थी के समक्ष परीक्षण न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार दरखवाश्त (आदेश 9 व नियम 13) पेश करने का विकल्प खुला था जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा नहीं करते हुए अपील का रास्ता चुना गया है। प्रार्थी परीक्षण न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान लापरवाह रहा है व एक बार उपस्थित होने के उपरान्त वाद की प्रगति की जानकारी रखने का भार प्रतिवादी/प्रार्थी पर था, परन्तु परीक्षण न्यायालय पर भरोसा नहीं किया तथा ठोस आधारों के बिना अपील पेश कर दी गई।

उन्होनें आगे बताया कि वाद प्रस्तुत करते समय नेमाराम की पुत्री केसर रिकार्डेड खातेदार नहीं होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। केसर ने परीक्षण न्यायालय के आदेश की अपील का विकल्प भी नहीं चुना तथा अपील की सुनवाई के अंतिम

समय पक्षकार बनना चाहती है। रिव्यू दरखवाश्त मूल पक्षकार ही पेश कर सकता है। रिव्यू दरखवाश्त रेवन्तराम व तुलछाराम की और से प्रस्तुत होने का उल्लेख है। जबकि तुलछाराम का न तो वकालतनामा है तथा न ही दरखवाश्त पर हस्ताक्षर है। अपील की सुनवाई के दौरान केसर की दरखवाश्त पर निर्णय किया जा चुका था, पुनः रिव्यू दरखवाश्त के साथ पक्षकार बनने की दरखवाश्त पेश करने का औचित्य नहीं है। रिव्यू दरखवाश्त के साथ प्रार्थी का शपथ पत्र भी नहीं है। उक्त नियम विरूद्व कार्यवाही प्रार्थी के वकील की निगरानी में हुई है। जो कदाचार की श्रेणी में आता है। उन्होनें यह भी कथन किया कि नजरसानी दरखवाश्त के एडमिशन योग्य होने के मुद्दे पर निर्णय किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण दरखवाश्त के गुणावगुण पर निर्णय होना चाहिए।

उन्होनें आगे कथन किया कि जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण की तमाम परिस्थितियों व दस्तावेजों के अवलोकन को मद्देनजर रखते हुए विस्तृत रूप से आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती हैं अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी फरसाराम द्वारा विभाजन हेतु वाद पेश किया गया। उक्त वाद की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की और से उनके अभिभाषक हाजिर थे, परन्तु जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही उनके विरूद्व की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु कोई दरखवाश्त पेश की गई। परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारों के दर्ज हिस्से की सीमा तक विभाजन करने की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगाये गये। तहसीलदार द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। प्रस्तावों पर प्रतिवादीगण को हस्ताक्षर करने हेतु कहने पर उन्होंने ऐसा करने से इंकार किया तथा मौके पर उपस्थित अन्य लोगों की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई।

परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 30—12—2011 को जारी प्रारम्भिक डिक्री की अपील पेश होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के औचित्य, विभाजन प्रस्तावों की विधिक स्थिति तथा उक्त प्रस्तावों के आधार पर अंतिम डिक्री की विधिक स्थिति पर सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त अपील अस्वीकार की गई। अपीलांट्स/प्रार्थीगण ने उन्हीं कथनों को दोहराते हुए अपील के निर्णय पर पुनर्विचार करने की दरखवाश्त पेश कर दी। रिव्यू दरखवाश्त के एडमिशन के लिये मुख्य तर्क यह है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण तथा पूर्व खातेदार नेमाराम की पुत्री को सुनवाई का मौका दिये बिना एकपक्षीय डिक्री पारित करने में परीक्षण न्यायालय ने भूल की है तथा अपील न्यायालय ने भी केसर के पक्षकार बनने की दरखवाश्त को खारिज करने में भूल की है। जबकि उक्त दोनों तर्को के बारे में अपील के निर्णय में स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है। रिव्यू दरखवाश्त के साथ प्रार्थी का शपथ पत्र न होने, द्वितीय प्रार्थी के हस्ताक्षर न होने तथा दरखवाश्त अधूरी होने की कानूनी खामियों के साथ परीक्षण न्यायालय तथा अपील न्यायालय द्वारा विवेचित बिन्दुओं को रिपीट करने के कारण दरखवाश्त एडमिशन योग्य नहीं है। रिव्यू क्षेत्राधिकार में वाद तथा अपील के गुणावगुण पर विचार नहीं किया जा सकता। रिव्यू दरखवाश्त के साथ प्रार्थीगण ने विचाराधीन निर्णय में ऐसी कोई गंभीर तथ्य संबंधी या कानूनी भूल का उल्लेख नहीं किया है जिस पर पूर्व सुनवाई में विचार नहीं किया गया हो।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—08—2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23—07—2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर